2025:CGHC:44942

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 43/2007

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 07/05/2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 03/ 09/2025

- अशोक कुमार गुप्ता उर्फ लल्लू, पिता मोतीलाल गुप्ता, आयु 22 वर्ष, निवासी– युवा अंकुश चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, जामुल, थाना – भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)

... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.के. गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : सुश्री नंद कुमारी कश्यप, पैनल अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे)

(सी.ए.वी. निर्णय)

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 180/2006 में दिनांक 23.12.2006 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय से उद्भूत है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध किया गया है:–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क के अधीन	01 वर्ष का सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन	5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रुपए 1000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

2. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, मृतिका वेणु गुप्ता और अपीलार्थी अशोक कुमार गुप्ता घटना से एक वर्ष पूर्व प्रेम संबंध में थे और उन्होंने डोंगरगढ़ मंदिर में विवाह किया था तथा पति–पत्नी के रूप में साथ रहते थे। इसी दौरान, मृतिका गर्भवती हो गई और उन दोनों ने दिनांक 24/4/2006 को विवाह अधिकारी, दुर्ग के समक्ष न्यायालय में विवाह किया, जिसका प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–3) प्राप्त कर साथ रहने लगे। इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से तंग किया, जिसके कारण दोनों के बीच अनबन हो गई, और मृतिका वेणु गुप्ता ने अपने माता–पिता और परिवार के सदस्यों को अपीलार्थी द्वारा निरंतर तंग किए जाने के विषय में बताया। इस संबंध में एक सामाजिक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी अशोक गुप्ता ने अपनी पत्नी वेणु गुप्ता को आश्वासन पत्र दिया कि वह उसे दोबारा तंग और प्रताड़ित नहीं करेगा। किंतु, अपीलार्थी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी उसने वेणु गुप्ता को तंग करना बंद नहीं किया, जिससे क्षुब्ध होकर मृतिका ने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मृतिका वेणु गुप्ता के ससुर मोतीलाल गुप्ता द्वारा पुलिस थाने में दी गई, जिस पर मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–10) दर्ज की गई। विवेचना के दौरान, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृतिका के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी–2) तैयार किया गया, और शव को शवपरीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, दुर्ग भेजा गया, जिसे डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अ.सा.–14) द्वारा किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित चोटों/लक्षणों को विचार में रखते हुए अपना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–22) दिया :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> दोनों आँखें बंद थीं, नेत्रश्लेष्मला संकुलित थीं, पुतलियाँ फैली हुई और स्थिर थीं। चेहरा सूजा हुआ था। मुँह थोड़ा खुला हुआ था, मुँह के बाएं कोने से सूखी लार मौजूद थी, नाखून नीले पड़ गए थे और कोई बाह्य चोट मौजूद नहीं थी।
>
> थायराइड उपास्थि के ऊपर गर्दन के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर तिरछा गहरे भूरे रंग का लिगेचर मार्क (फंदे का निशान) मौजूद था, जो निचले जबड़े के किनारे से होते हुए बाएं जबड़े के कोण तक ऊपर की ओर जा रहा था। दाईं ओर यह गर्दन के मध्य में तिरछा स्थित था, जो दाईं ओर बगल से होते हुए पीछे की ओर ऊपर की तरफ जा रहा था। लिगेचर के नीचे की त्वचा सूखी और चर्मपत्र जैसी थी। लिगेचर के किनारों पर इक्काइमोसिस मौजूद थे,और लिगेचर सामग्री को हटा दिया गया था।
>
> चिकित्सक ने मृतिका की मृत्यु का कारण फांसी लटकने और मृत्यु की प्रकृति दम घुटने के कारण होना बताया है।

3. विवेचना के दौरान, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 304–बी और 498–क के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क और 306 के अधीन आरोप विरचित किए। अभियुक्त/अपीलार्थी ने दोष अस्वीकार किया एवं निर्दोष होने का अभिवाक किया।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के दोष को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया। प्रकरण में एक बचाव पक्ष के साक्षी का भी परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के प्रकरण में अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात, आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के कण्डिका–1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध किया है।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि यदि अभियोजन के संपूर्ण प्रकरण को उसके प्रत्यक्ष रुप में स्वीकार कर लिया जाए, तब भी अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 व 498–क के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय अन्यायपूर्ण, अनुचित और विधि की आवश्यकताओं के विरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि मृतिका और अपीलार्थी ने न्यायालय में विवाह किया था, अतः दहेज का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि मृतिका के भाई योगेश कुमार वर्मा (अ.सा.–1) और पिता अशोक कुमार वर्मा (अ.सा.–2) के साक्ष्य के अनुसार, मृतिका बार–बार अपने मायके आती–जाती रहती थी, जो यह दर्शाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा बंधक नहीं थी और तंग करने की कहानी मनगढ़ंत है। अ.सा.–2 ने यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की और न ही दहेज में किसी वस्तु की मांग की और न ही अपीलार्थी द्वारा तंग किए जाने के विषय में कुछ बताया, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्षियों के उपरोक्त परिसाक्ष्य की अनदेखी करते हुए उसे दोषसिद्ध किया, जो कि अपास्त किए जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मृतिका की माँ सहोदरा बाई (अ.सा.–3) ने कथन किया है कि जब उनकी पुत्री घर से लापता थी, तब उन्होंने उसे ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जो माता–पिता द्वारा की गई देखभाल और सुरक्षा के स्तर को दर्शाता है। इस साक्षी द्वारा दिया गया अतिरंजित कथन अंतरजातीय विवाह के कारण अपीलार्थी के साथ शत्रुता का परिणाम है। स्वतंत्र साक्षी टी. मोहन राव (अ.सा.–4), जो घटना के समय उपस्थित था, ने अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं किया है, बल्कि उसने यह कथन किया है कि दंपति के मध्य ऐसा कोई विवाद नहीं था और वे खुशी–खुशी रह रहे थे। इसके अतिरिक्त, अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है,किंतु दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके साक्ष्य की अनदेखी की गई है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों और न्यायालय के कथनों में तात्विक लोप और विरोधाभास हैं, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय को पारित करते समय ऐसे लोप और विरोधाभासों पर विचार नहीं किया और इस प्रकार अवैधता कारित की है। अभियोजन अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, इसलिए दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गोपाल विरुद्ध राजस्थान राज्य,(2009) एआईआर (एससी) 1928** में प्रकाशित तथा **हीरा लाल विरुद्ध राजस्थान राज्य, (2017) एआईआर (एससी) 2425** में प्रकाशित प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा यह तर्क किया कि अभियोजन ने अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित किया है एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क और 306 के अधीन आरोप विरचित किए थे और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, उसे निर्णय के कण्डिका–1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध किया।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने 11 साक्षियों का परीक्षण कराया है और 17 दस्तावेज़ों को प्रदर्शित किया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतिका की मृत्यु विवाह के 07 वर्ष के भीतर हुई थी।

12. जहाँ तक मृतिका की अप्राकृतिक मृत्यु का संबंध है, यह न्यायालय डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अ.सा.–14)के साक्ष्य से यह पाता है, जिन्होंने मृतिका का शव परीक्षण किया था और प्रदर्श पी/23 के अधीन अपनी रिपोर्ट दी थी,उन्होंने अपनी राय में मृतिका की मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना बताया था, इस प्रकार, मृतिका की मृत्यु अप्राकृतिक थी।

13. योगेश्वर कुमार वर्मा (अ.सा.–1) मृतिका का भाई है। उसने कथन किया है कि मृतिका उसकी छोटी बहन थी और उसने अपीलार्थी के साथ न्यायालय में विवाह किया था तथा वह अंकुश चौक, छावनी स्थित अपीलार्थी के घर में उसके साथ रह रही थी। उसने यह भी कथन किया है मृतिका की मृत्यु से पूर्व,पंचों की उपस्थिति में उसके घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी और मृतिका भी उपस्थित थे। अपीलार्थी द्वारा मारपीट और तंग किए जाने के कारण उसकी बहन पहले ही उसके घर आ गई थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था। बैठक में अपीलार्थी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वह मृतिका के साथ मारपीट नहीं करेगा और उसे ठीक से रखेगा तथा यदि उसे कुछ होता है, तो वह उसका जिम्मेदार होगा। अपीलार्थी द्वारा दिए गए उक्त आश्वासन को लिखित रूप में भी दर्ज किया गया था। इसके पश्चात, अपीलार्थी उसकी बहन को अपने साथ ले गया। उसने यह भी कथन किया है उसकी बहन अपनी मृत्यु के दिन उसके घर आई थी। अपीलार्थी के जीजा ने उसकी बहन के स्वास्थ्य खराब होने के बारे में सूचना दी थी और उसे अस्पताल बुलाया गया था। उस समय वह सो रहा था और उसकी माँ ने उसे जगाया और उसकी बहन की स्थिति के बारे में सूचित किया। तब वे एस.एस. अस्पताल गए जहाँ चिकित्सक ने उन्हें बताया कि उसकी बहन अस्पताल में नहीं है। उसके बाद, वे करुणा अस्पताल गए, जहाँ उसकी बहन की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और मृत्यु के बाद शरीर में अकड़न था। उसने आगे यह भी कथन किया है कि उसके बाद अपीलार्थी और उसके भाइयों द्वारा उसकी बहन को चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने अपीलार्थी से कहा कि उसने मृतिका और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों को मार डाला है। चिकित्सक ने उसकी बहन को शासकीय अस्पताल ले जाने के लिए भी कहा था लेकिन अपीलार्थी और उसके भाई मृतिका को शासकीय अस्पताल नहीं ले गए और उसे अपने घर ले आए। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि पुलिसकर्मी अपीलार्थी के घर आए थे जहाँ उन्होंने उसकी बहन के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया और उसने नोटिस (प्रदर्श पी–1) और मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी–2) के 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि लिखित आश्वासन देने के बाद भी अपीलार्थी उसकी बहन के साथ मारपीट और तंग करता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी–2) मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया था न कि पुलिस द्वारा। इस साक्षी ने कण्डिका 11 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसकी बहन स्वयं अपीलार्थी के पास गई थी और उन्होंने उसे नहीं भेजा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी अपने माता–पिता से अलग रह रहा था और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसके माता–पिता ने राशन और वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया था तथा अपीलार्थी और उसकी बहन के घर में भोजन की कमी थी। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसकी बहन उनके घर आती थी और भोजन मांगती थी, जो वे उसे देते थे।

14. अशोक कुमार वर्मा (अ.सा.–2) मृतिका के पिता हैं। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उनकी पुत्री मृतिका ने अपीलार्थी के साथ न्यायालय में विवाह(कोर्ट मैरिज) किया था और वह उनके घर आया करती थी तथा राशन और पैसों की मांग करती थी। अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 8 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पुत्री मृतिका ने मारपीट की घटना अपनी माँ को बताई थी,उसे नहीं। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी पत्नी से पता चला था कि अपीलार्थी एक निजी कंपनी में कार्य करता है और उसे 15 दिनों के बाद मजदूरी मिलती है, और इस बीच उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उनकी पुत्री उनके घर आती थी और सब्जियों तथा भोजन के लिए पैसों की मांग करती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी पुत्री ने उनसे कभी यह नहीं कहा कि अपीलार्थी के साथ प्रेम विवाह करने के बाद वह ग्लानि महसूस कर रही थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतिका और अपीलार्थी के विवाह के समय कोई दहेज नहीं दिया था और न ही अपीलार्थी ने उनसे किसी दहेज की मांग की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सहोदरा बाई (अ.सा.–3) मृतिका की माता हैं। उन्होंने कथन किया है कि उनकी पुत्री मृतिका उनके घर आती थी और कहती थी कि उसके घर में किराने का सामान और पैसे नहीं हैं तथा अपीलार्थी उसे तंग करता था। उनकी पुत्री ने बताया था कि अपीलार्थी उसे भोजन नहीं देता था और उसके साथ मारपीट करता था, तथा वह (यह साक्षी) अपनी पुत्री को राशन और पैसे दिया करती थी। उन्होंने यह भी बताया कि 14/15 की मध्यरात्रि लगभग 02:00 बजे, उन्हें अपीलार्थी के पिता से सूचना मिली कि उनकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब वह अपने पुत्र योगेश वर्मा (अ.सा.–1) के साथ एस.एस. अस्पताल गईं, जहाँ उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री को करुणा अस्पताल ले जाया गया है। करुणा अस्पताल पहुँचने पर उन्होंने देखा कि अपीलार्थी उनकी पुत्री के साथ रिक्शा में था और वहाँ से उसकी स्थिति को देखते हुए, उसे चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल ले जाया गया। वह (यह साक्षी) भी अपनी मृत पुत्री के साथ गई थी, जहाँ चिकित्सक अपीलार्थी को डांट रहे थे कि उसने दो हत्याएं कारित की हैं। उनकी पुत्री मृतिका गर्भवती थी। उन्होंने यह भी कथन किया है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी पुत्री की मृत्यु कैसे हुई। प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पुत्री ने प्रेम विवाह किया था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने पुलिस कथन में दहेज की मांग के संबंध में कोई कथन नहीं दिया था। कण्डिका 10 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पुत्री घर आती थी और कहती थी कि उसके घर में राशन, सब्जियां और पैसे नहीं हैं, तब वह (यह साक्षी) राशन

और सब्जियों के लिए पैसे दिया करती थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि 14.05.2006 को भी उनकी पुत्री आई थी और राशन तथा पैसे लेकर गई थी।

16. टी. मोहन राव (अ.सा.–4) अपीलार्थी का पड़ोसी है। उसने कथन किया है कि घटना के दिन मृतिका 7–8 माह की गर्भवती थी। उसकी मृत्यु फांसी लगाने से हुई। घटना के दिन, अपीलार्थी अपने घर से उसका नाम लेकर चिल्ला रहा था कि "मोहन भैया बचाओ बचाओ"। अपीलार्थी की 3–4 बार चीखें सुनने के बाद, वह उसके घर गया और देखा कि मृतिका वेणु वर्मा फांसी पर लटकी हुई थी तथा अपीलार्थी और उसका भाई उसे नीचे से थामे हुए थे। उस समय मृतिका वेणु वर्मा जीवित थी, वह बोल नहीं रही थी किंतु तड़प रही थी। उसने यह भी बताया कि अपीलार्थी और उसके भाई ने मृतिका को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। उन्होंने उसे फंदे से नीचे उतारा और दीवार के सहारे बैठा दिया। इसके पश्चात, उसने डॉ. पी. एन. रॉय को बुलाया जिन्होंने मृतिका की जांच की और कहा कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्हें मृतिका वेणु वर्मा को उच्च चिकित्सा केंद्र ले जाने की सलाह दी, तब वे मृतिका को एस.एस. अस्पताल ले गए। अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने अभियोजन के सभी सुझावों से इनकार किया और अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी–7 से भी इनकार किया। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि अपीलार्थी और मृतिका खुशी–खुशी रह रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भगवत प्रसाद (अ.सा.–5) और चंद्र शेखर (अ.सा.–6) ने कथन किया है कि मृतिका के पिता ने उन्हें बुलाया था और एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, तब उन्होंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। वे नहीं जानते कि वह कागज किस बारे में था। उस समय अपीलार्थी भी वहां मौजूद था। अभियोजन ने इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया और उनसे प्रतिपरीक्षण किया, किंतु उन्होंने अभियोजन के सभी सुझावों से इनकार किया और अपने पुलिस कथनों को भी अस्वीकार किया।

18. राज कुमार गुप्ता (ब.सा.–1) अपीलार्थी का भाई है। उसने कथन किया है कि घटना दिन रात लगभग 10:00 बजे, उन सभी ने साथ में भोजन किया था। मृतिका भी उनके साथ थी। रात करीब 12:00 बजे, अपीलार्थी की 'बचाओ–बचाओ' की चीखें सुनने के बाद, वह दौड़कर वहां गया और देखा कि मृतिका फांसी पर लटकी हुई थी; अपीलार्थी ने मृतिका को नीचे से थामा और उसने (इस साक्षी ने) भी मृतिका को ऊपर उठाया ताकि फंदा और न कसे। उसने यह भी बताया कि उसके बाद वह भी 'बचाओ–बचाओ' चिल्लाया, तब उनका पड़ोसी टी. मोहन राव (अ.सा.–4) दौड़ते हुए मौके पर आया, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर मृतिका को फंदे से नीचे उतारा और डॉ. पी.एन. रॉय को बुलाया, जिन्होंने उन्हें मृतिका को उच्च चिकित्सा केंद्र ले जाने की सलाह दी। उसने आगे बताया कि उसके बाद वे मृतिका को एस.एस. अस्पताल ले गए किंतु चिकित्सक की अनुपलब्धता के कारण, वे मृतिका को करुणा

अस्पताल ले गए, जहाँ नर्स ने उन्हें बताया कि चिकित्सक उपलब्ध नहीं होंगे; तब वे मृतिका को चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सक ने मृतिका को 'मृत लाया गया' घोषित कर दिया और फिर वे मृतिका के शव को घर ले आए।

19. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य के सूक्ष्म जांच से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी और मृतिका ने प्रेम विवाह किया था और मृतिका के भाई (अ.सा.–1), पिता (अ.सा.–2) एवं माता (अ.सा.–3) के कथनों के अनुसार, अपीलार्थी और मृतिका कुछ आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, इसलिए मृतिका को किराने के सामान और अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए अपने माता–पिता से कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, और मृतिका के माता–पिता उसे उसकी आजीविका के लिए राशन की आपूर्ति कर रहे थे और पैसे दे रहे थे।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गोपाल (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में कण्डिकाएँ 11 व 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "11. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 को लागू करने के लिए, आत्महत्या का स्थापित होना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि आत्महत्या स्थापित नहीं हुई है।
>
> 12. जहाँ तक धारा 498–क (ख) का प्रश्न है, दहेज की मांग का साक्ष्य होना अनिवार्य है। अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, धारा 498–क (ख) लागू नहीं होती है।"

21. **एम. अर्जुनान (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

> "**8.** भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के आवश्यक घटक इस प्रकार हैं: (i) दुष्प्रेरण ; (ii) अभियुक्त का मृतिका को आत्महत्या कारित करने के लिए सहायता करने, उकसाने या दुष्प्रेरित करने का आशय। हालांकि, अभियुक्त द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर मृतिका को अपमानित करने का कृत्य, स्वतः ही आत्महत्या का दुष्प्रेरण गठित नहीं करेगा। ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जो यह सुझाव देने में सक्षम हों कि

> अभियुक्त ने अपने ऐसे कृत्य द्वारा मृतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आशय रखा था। जब तक आत्महत्या के लिए उकसाने/दुष्प्रेरण के घटक का समाधान नहीं होता, तब तक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।"

22. **हीरा लाल (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिकाएँ 8, 9 व 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

> "8. हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण को क्रूरता के आरोप से दोषमुक्त करने के पश्चात, जो कि धारा 498–क के अधीन बनने वाले अपराध का सबसे बुनियादी घटक है, धारा 113–क को लागू करने हेतु आवश्यक तीसरा घटक अनुपस्थित है, अर्थात् – वे नातेदार जैसे कि सास और ससुर जिन पर धारा 306 के अधीन आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने पीड़िता के प्रति क्रूरता कारित की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकरण के तथ्यों में यह समान रूप से पाया गया है कि ससुराल वालों ने उसे तंग किया था, किंतु तंग करना क्रूरता की तुलना में कमतर श्रेणी का कृत्य है। साथ ही, समग्र रूप से तथ्यों को देखने पर हम पाते हैं कि यदि यह अनुमान लगाया जाए कि धारा 113–क के अधीन उपधारणा लागू होती है, तो भी उसका पूर्णतः खंडन हो चुका है, क्योंकि ससुराल वालों की ओर से पीड़िता को आत्महत्या के लिए सहायता करने का कोई संबंध या आशय प्रतीत नहीं होता है।
>
> 9. इस महत्वपूर्ण कड़ी के अभाव में, केवल तंग करने का निष्कर्ष होने मात्र से यह परिणाम नहीं निकलता कि वहां "आत्महत्या का दुष्प्रेरण" हुआ है।
>
> 10. अतः तथ्यों के आधार पर, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलार्थीगण को संहिता की धारा 498–क के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है, हम पाते हैं कि धारा 306 के अधीन 'आत्महत्या का दुष्प्रेरण' का प्रकरण नहीं बनता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त उद्धृत न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के दिन, अपीलार्थी और उसका भाई मृतिका को फंदे से नीचे उतारकर उसका जीवन बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। जब मृतिका को फंदे से नीचे उतारा गया, तब वह जीवित थी और तड़प रही थी और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था,

तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी और मृतिका ने प्रेम विवाह किया था और वे कुछ आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे और इसी कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि मृतिका को इस हद तक तंग किया गया था कि उसने केवल उसके तंग किए जाने के कारण आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के बाद जिस आर्थिक तंगी का सामना वह कर रही थी, उसके कारण आत्महत्या का यह कठोर कदम उठाया। अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज की मांग के आरोप को भाई (अ.सा.–1), पिता (अ.सा.–2) और माता (अ.सा.–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में नकार दिया है।

24. समाज में, सामान्यतः विवाह के पश्चात यदि माता–पिता अपनी पुत्री को इस सीमा तक आर्थिक तंगी में पाते हैं कि वे अपनी जीविका के लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, तो माता–पिता अपने अनिवार्य कर्तव्य के नाते सहायता प्रदान करते हैं और ऐसी सहायता को दहेज की भूमिका के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, अ.सा.–1, अ.सा.–2 और अ.सा.–3 के साक्ष्य के अनुसार, मृतिका को केवल किराने के सामान और सब्जियों के लिए पैसों की सहायता दी गई थी, अतः इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क का अपराध आकृष्ट नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का संबंध है, ऐसे प्रकरण में जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और ऐसे उकसावे के परिणामस्वरूप वह अन्य व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो उकसाने वाला व्यक्ति आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए धारा 306 के अधीन दंड का पात्र होता है। इसलिए, किसी प्रकरण को धारा 306 के प्रावधान के भीतर लाने के लिए, आत्महत्या का प्रकरण होना चाहिए और उक्त अपराध के कारित होने में, उस व्यक्ति ने, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है, उकसाने के कृत्य द्वारा या आत्महत्या को बढ़ावा देने के लिए कोई निश्चित कार्य करके एक सक्रिय भूमिका निभाई होनी चाहिए। घटना के समय के निकट, अभियुक्त की ओर से बिना किसी सकारात्मक कार्य के केवल तंग करना, जिसके कारण आत्महत्या हुई हो, धारा 306 के अधीन अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क व 306 के अधीन अपराध गठित करने के लिए आवश्यक घटकों को अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध साबित नहीं किया गया है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों का उचित विवेचना नहीं की और विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया।

26. इस प्रकार, आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए किसी भी विश्वसनीय और निर्णायक सामग्री के अभाव में, इस न्यायालय के लिए किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन होगा कि मृतिका ने अभियुक्त/अपीलार्थी के दुष्प्रेरण के कारण आत्महत्या कारित की थी। पुनरावृत्ति के तौर पर,

अभियोजन इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतिका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था और दहेज की मांग के लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया था,इस प्रकार, संदेह का लाभ, निश्चित रूप से,अभियुक्त/अपीलार्थी को मिलना चाहिए।

27. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, यह अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 23.12.2006 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

28. अपीलार्थी जमानत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र क्रमांक–45 के अनुसार संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल 25,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति प्रस्तुत करें जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील होगा। इसके साथ ही यह वचनबद्धता भी होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, उक्त अपीलार्थी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

29. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**